न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 39 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेसपोडेंटगण
लाखाराम पुत्र श्री फुसाराम कौम नाई निवासी केराला (झुण्ड) तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. टुगी देवी पत्नी श्री रेखाराम पुत्र श्री माधुराम कौम नाई निवासी खोथों की ढाणी हाल केराला (संतरा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. चम्पा पुत्र श्री सुरता कौम नोई निवासी केराला (झुण्ड) तहसील बायतु जिला बाड़मेर 3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 144 / 2011 बअनवान टुगीदेवी बनाम लाखाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—15.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खाता संख्या 25 खसरा संख्या 192रकबा 63.02 बीघा मौजा केराला पटवार मण्डल संतरा तहसील बायतु का आया हुआ है जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 व 2 का 1/3 व 1/6 हिस्सा बनता है। उक्त खसरा की भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त सह खातेदारी में शामलाती अविभाजित भूमि है, मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये गये मौखिक बंटवाड़ा अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

माफिक वादीनी का 1/2 हिस्सा तादादी 31.11 वीघा भूमि वादीनी के कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा करने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गिड़ा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष एक नेखमबंदी का आवेदन पेश होने पर न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी बायतु के पेशकार ने कहा कि अभी पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है आप 21.03.2023 के बाद में न्यायालय में आकर पता करना तब अपीलांट वापस घर चला गया तथा दिनांक 21.03.2023 को वापस न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी बायतु में आकर पेशकार से मिलकर जानकारी की तब सर्वप्रथम उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलाधीन पत्रावली की सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं तुरंत ही उसी दिन नकलें प्राप्त कर वकील मुकर्रर कर अपील तैयार कर उक्त अपील पेश की गई। अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये है जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है कि बंटवारे के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना किया जाना आवश्यक है जिसकी पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई वो प्राथमिक डिक्री के विपरित है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2011 बअनवान टुगीदेवी बनाम लाखाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर प्रकरण का गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर